बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

संचिका सं0–14/डी0एल0ए0–भू–अर्जन एवं पुनर्वास (नीति–14)–32/2014 (खण्ड–1) ...115.../रा0, दि० - 02-02-18

बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2018

केन्द्रीय भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 109 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**:–(1) यह नियमावली बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2014 के नियम 4 में संशोधन:–

(1) उक्त नियमावली, 2014 के नियम 4 का उपनियम (2) एवं (3) एतद द्वारा विलोपित किये जाते है।

(2.) उक्त नियमावली, 2014 के नियम 4 के उपनियम (6) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:–

"परन्तुक किसी जिले में उपलब्ध आकस्मिकता व्यय की राशि को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर निदेशक, भू–अर्जन, बिहार आवश्यकतानुसार अन्य जिला भू–अर्जन कार्यालयों तथा भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को उप आवंटित कर सकेंगे।"

(3) उक्त नियमावली, 2014 के नियम 4 के उपनियम (8) के बाद निम्नलिखित नया उपनियम (9) में जोडा जाएगा।

"(9) परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन/अधिग्रहण के विषय में प्रस्तावวार/मौजावार स्थापना मद एवं आकस्मिकता व्यय की राशि निम्नलिखित रूप में विनिश्चित की जायगी :–

क्र0	प्रतिकर की राशि	स्थापना मद की राशि	आकस्मिकता व्यय की राशि
1	प्रतिकर की राशि ₹ 100.00 करोड़ तक	10 प्रतिशत्	1 प्रतिशत् अथवा ₹ 10.00 लाख, जो भी उच्चतर हो।
2	प्रतिकर की राशि ₹ 100.00 करोड़ से अधिक तथा 200.00 करोड़ तक	7 प्रतिशत्	1 प्रतिशत् अथवा ₹ 10.00 लाख, जो भी उच्चतर हो।
3	प्रतिकर की राशि ₹ 200.00 करोड़ से अधिक तक	5 प्रतिशत्	1 प्रतिशत् अथवा ₹ 10.00 लाख, जो भी उच्चतर हो।

यह प्रावधान वैसे मामलों में प्रभावी नहीं होगा, जिनमें सक्षम प्राधिकार के स्तर से प्राक्कलन/पंचाट की स्वीकृति की कार्रवाई की जा चुकी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11.5.18

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/डी0एल0ए0–भू–अर्जन एवं पुनर्वास (नीति–14)–32/2014 (खण्ड–1)–115/रा0,पटना–15, दिनांक–02-02-18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/डी0एल0ए0–भू–अर्जन एवं पुनर्वास (नीति–14)–32/2014 (खण्ड–1)–115/रा0,पटना–15, दिनांक–02-02-18

प्रतिलिपि :–

1. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी समाहर्त्ताओं से अनुरोध है कि इस अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से उनके परिक्षेत्रान्तर्गत चल रहे परियोजनाओं से संबंधित अधियाची विभाग के पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय।

2. सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5. विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

6. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

7. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/डी0एल0ए0–भू–अर्जन एवं पुनर्वास (नीति–14)–32/2014 (खण्ड–1)–115/रा0,पटना–15, दिनांक–02-02-18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार को (दो सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ।

2. इसकी 500 प्रतियाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF REVENUE AND LAND REFORMS
(Directorate of Land Acquisition)

NOTIFICATION

No. 14/D.L.A Bhu-Arjnan Evam Punarwas(Niti-14) 32/2014(khand-1)......./R

The Bihar Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Rules, 2018.

In exercise of the powers conferred under section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Governor of the State of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rule, 2014:-

1. **Short title, extent and commencement.**-(1) These rules may be called the Bihar Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Rules, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Amendment in Rule 4 of the said Rule, 2014:-**

(1) The sub-rule (2) and (3) of Rule 4 of the said Rules, 2014 are hereby deleted.

(2.) The following proviso will be added in sub rule 4(6) of Rule 4 of mention Rule 2014:-

"Proviso" the Director, Land Acquisition, Bihar will re-allocate, as per need, the amount of contingency charges available in a district to another District Land Acquisition Offices and Directorate of Land Acquisition, Bihar, Patna with the approval of the Principal Secretary, Revenue and Land Reforms Department.

(3) The following new sub-rule (9) will be added after sub rule (8) of rule 4 of the said Rules, 2014:-

"(9) The Amount of Establishment levies and Contingency expenditure in the matters of land acquisition/acquisition for projects, will be determined proposal-wise/village-wise in the following manners:-

Sl No.	Compensation amount	Amount of Establishment items	Amount of Contingency Expenditure
1	Compensation amount up to ₹ 100.00 crore	10 percent	01 percent or ₹ 10.00 lakh, whichever is higher.
2	Compensation amount more than ₹ 100.00 crore & up to ₹ 200.00 crore	7 percent	01 percent or ₹ 10.00 lakh, whichever is higher.
3	Compensation amount above ₹ 200.00 crore	5 percent	01 percent or ₹ 10.00 lakh, whichever is higher.

This provision would not be effective in such cases in which estimate/award has been sanctioned at the level of competent authority.

By the order of the Governor of Bihar

(Vivek Kumar Singh)
Principal Secretary

Memo No.-14/D.L.A Bhu-Arjnan Evam Punarwas(Niti-14) 32/2014(khand-1):114./R. Dated-02/02/2018

Copy forwarded to Accountant General, Bihar, Patna for information and necessary action.

(Vivek Kumar Singh)
Principal Secretary

Memo No.-14/D.L.A Bhu-Arjnan Evam Punarwas(Niti-14) 32/2014(khand-1)...114./R. Dated-02/02/2018

Copy to:-1. All Divisional Commissioners/ All Collectors/ All Additional Collectors/ All District Land Acquisition Officer, Bihar for information & necessary action.

All District Collectors are requested to make available the copy of this notification to concerned all officers of the ongoing projects of the requisitioning department in the district from their own level

2. All Departmental Principal Secretary/ All Secretary/ All Departmental Head, Bihar, Patna for information & necessary action.

3. Director, Land Acquisition and Rehabilitation, Water Resources Department, Bihar, Patna for information & necessary action.

4. Chief Secretary, Bihar, Patna for information.

5. Development Commissioners, Bihar, Patna for information.

6. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar, Patna for information.

7. Private Secretary to Hon'ble Minister, Revenue and Land Reforms Department, Bihar, Patna for information.

(Vivek Kumar Singh)
Principal Secretary

Memo No.-14/D.L.A Bhu-Arjnan Evam Punarwas(Niti-14) 32/2014(khand-1):114./R. Dated-02/02 /2018

Copy forwarded to the Under Secretary, e-gazette cell, finance Department Bihar Patna (along with two C.D. and two hard copy) for information and necessary action. He is requested to publish this notification in the next extraordinary issue of Bihar Gazette for the knowledge of general public.

Kindly send 500 copies of special Gazette to the Revenue & Land Reforms Department, Bihar, Patna.

(Vivek Kumar Singh)
Principal Secretary